



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- कोटा में थानाधिकारी, पुलिस थाना सांगोद 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 23 सितम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बदन सिंह मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना सांगोद, जिला कोटा ग्रामीण राजस्थान को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके लाईसेंसशुदा भांग के ठेके को निर्बाध संचालित करने एवं अवैध रूप से भांग की बिक्री रोकने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में बदन सिंह मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना सांगोद, जिला कोटा ग्रामीण द्वारा प्रतिमाह 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री हर्षराज सिंह खरेड़ा एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बदन सिंह मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा निवासी मकान नं0 ई-2, समृद्धि नगर, बोरखेड़ा, कोटा हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना सांगोद, जिला कोटा ग्रामीण को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।